निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1937 (शo)

(सं0 पटना 444) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

23 फरवरी 2015

सं0 22/नि0सि0(मोति0)–08–03/2010/505––श्री ललन प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, ढाका नहर नवीकरण प्रमंडल, ढाका के विरूद्ध पदस्थापन अवधि में की गई अनियमितताओं के संबंध में तत्कालीन मुख्य अभियंता, बाल्मीकिनगर द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर पत्रांक 968 दिनांक 29.03.10 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा की गई। उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 1788 दिनांक 02.12.10 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब दिनांक 27.04.12 प्राप्त हुआ जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई और समीक्षोपरान्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाल्मीकिनगर से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 615 दिनांक 21.0.5.13 द्वारा मंतव्य सहित प्रतिवेदन की मांग की गई। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाल्मीकिनगर पत्रांक 975 दिनांक 29.05.2013 द्वारा मंतव्य सहित प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई और समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाल्मीकिनगर द्वारा प्रतिवेदित मंतव्य से सहमत होते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (ख) के तहत विभागीय पत्रांक 1432 दिनांक 26.09.14 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

श्री सिंह से अबतक द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। इस बीच बाढ संरचना सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0 11468/2011 में पारित न्याय निर्णय दिनांक 09.01.15 प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई। आरोपी अभियंता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के फलस्वरूप उनके पेंशनादि से 10% की कटौती करते हुए औपबंधिक पेंशनादि की स्वीकृति दी गयी थी। सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0 11468/2011 में पारित न्याय निर्णय में कुल पेंशन दिये जाने का आदेश पारित है।

श्री सिंह के विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 25/87 दर्ज है जिसका अंतिम रूप से निष्पादित होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। उक्त थाना कांड में इनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ की गई उसमें इन्हें विभागीय आदेश संख्या 600 सह पठित ज्ञापांक 1718 दिनांक 06.08.99 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया है –

(i) निन्दन, जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 1986–87 में की अंकित जायेगी।

(ii) अगला दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(iii)निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, लेकिन पेंशन प्रयोजनार्थ उक्त अवधि को कर्त्तव्यरत मानी जायेगी एवं वेतन वृद्धि देया होगा।

सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0 11468/2011 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (बी0) के तहत मुख्य शर्त्त है कि सेवा पूर्णतः संतोषजनक नहीं है तो स्वीकृत पेंशन में से कटौती की जा सकती है। नियम 139 (सी0) के तहत यह शर्त्त है कि संबद्ध सरकारी सेवक के विरूद्ध कार्यरत अवधि में घोर कदाचार का पर्याप्त हो और उसका कार्य पूर्णतः असंतोषप्रद रहा हो, इस प्रकार सेवा पूर्णतः संतोषजनक नहीं रहने और घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत रहने की स्थिति में ही संबंधित व्यक्ति को नोटिस देकर एवं नोटिस प्राप्ति के बाद अंतिम आदेश पेंशन कटौती विषयक पारित किया जा सकता है।

आरोपी अभियंता श्री सिंह के विरूद्व आरोप यह है कि इन्होंने दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितिकरण हेतु कर्मियों की सूची बगैर जॉच–पड़ताल के जिला नजारत समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण को भेज दिया था। उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि मुख्य अभियंता, बाल्मीकिनगर द्वारा इनके द्वारा भेजे गये कर्मियों की सूची पर कोई अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं करने का निदेश दिया गया। फलतः ऐसे कर्मियों की नियुक्ति नहीं हुई। इस प्रकार कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई।

विभागीय आदेश सं0 600 सह पठित ज्ञापांक 1718 दिनांक 06.08.99 द्वारा संसूचित दंड लघु दंड के अन्तर्गत आता है। इसलिए अभी के क्षण में इनके विरूद्ध घोर कदाचार एवं पूर्णतः असंतोषप्रद सेवा स्थापित होता हुआ नहीं प्रतीत होता है। किन्तु यदि इनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0 25/87 में कोई आदेश पारित होता है तो यह एक अलग मुद्दा विचारणीय होगा।

अतएव मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त विभाग द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है –

(1) न्यायादेश के अनुरूप श्री सिंह को 10% अवशेष पेंशन की स्वीकृति यथा विहित समय पर देने।

(2) इनके विरूद्ध नियिम 139 (बी0) के तहत अधिरोपित द्वितीय कारण पृच्छा नियम 139 (बी0) के शर्त्तो के पूर्णतः अनुरूप नहीं होने के कारण मामले को तकनीकी रूप से संचिकास्त किया जाता है।

(3) निगरानी थाना कांड संख्या 25/87 में निर्णय होने पर उपरोक्त के अनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

उक्त निर्णय श्री सिंह एवं सभी संबंधित को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 444-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in